कब्जा सूचना

एडलवेइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन – यू67100एमएच2007पीएलसी174759

खुदरा केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवेइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुंबई – 400098

जबकि, इसमें वर्णित प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार(रों) से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

तदुपरांत, यहां नीचे वर्णित समनुदेशक ने नीचे वर्णित आस्तियां एडलवेइस असेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को समनुदेशित कर दी हैं, जो नीचे उल्लेखित विभिन्न ट्रस्टीज की इसकी हैसियत से कार्यवाही कर रही है (इसमें आगे "ईएआरसी" कही गई है)। समनुदेशन अनुबंधों के अनुसरण में, सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 5 के तहत ईएआरसी ने समनुदेशनकर्ता का स्थान ले लिया है और अधोवर्णित प्रतिभूत हितों, गारंटियों, बंधकों सहित कर्जदारों द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में समनुदेशनकर्ता के सभी अधिकार, स्वामित्वाधिकार और हित ईएआरसी में निहित हो गए हैं तथा ईएआरसी एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर रही है।

कर्जदार उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति का कब्जा प्रत्येक ऋण खाते/बंधक सम्पत्ति के सामने वर्णित तिथि को ले लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियां छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार एडलवेइस असेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	कर्जदार का नाम एवं सह–कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि	कब्जा की स्थिति
1.	एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड	EARC Trust – SC 482	179805	1. श्री विनोद शर्मा (कर्जदार) 2. श्रीमती रूबी देवी (सह–कर्जदार)	रू. 50,71,610.40/– एवं 20–12–2023	02-09-2024	भौतिक कब्जा

अचल सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर सी–43 पर फ्लैट नंबर जी–1, सुपर बिल्ट अप एरिया 600 वर्ग फीट भू तल पर, कैट–एमआईजी, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, ग्राम ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005

तिथि : 06–09–2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, एडलवेइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड**

Edelweiss

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालय: यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075, ई–मेल: info@newhabitat.in, info@savehfl.in
वेब: www.savehfl.in, मो.: +91-9999694526

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई–नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) **"जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, जो कुछ भी है"** के आधार पर की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि व समय: समय : 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	1. श्री नितिन कुमार प्रभाकर पुत्र श्री वेदेन्द्र प्रभाकर, श्रीमती सुमन प्रभाकर पत्नी श्री नितिन कुमार प्रभाकर और श्री मनोज कुमार (गारंटर) पुत्र भूरी सिंह। ऋण खाता संख्या– HSG/N/HEA/NOI/0217/0018	फ्लैट नंबर सी–1, द्वितीय तल, फीरोल्ड आवासीय प्लॉट नंबर डी–01पर निर्मित, खसरा नंबर 157 बी, साई उपवन, गांव यूसुफपुर चकसाबेरी, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	रु. 7,50,000.00 ईएमडी–रु. 75,000.00 रु. 25,000/-	21/09/2024 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपया 14,02,444/- दिनांक 05/09/2024 तक

ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एंव समय : 20.09.2024 के 4.00 बजे अप. तक
संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 13.09.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपरा.।

"नीलामी के नियम एंव शर्तें इस प्रकार है : 1) ई–नीलामी एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट - www.bankeauctions.com पर "ऑन लाइन" आयोजित होगी। संपर्क करें निखिलेश कुमार, मोबाइल–7080804466, Email- delhi@c1india.com, डेल्पलाइन नंबर - 7291981124,25,26. 2) इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को लागभोगी सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई शाखा, आसक अली रोड (62203), आईएफ एससी कोड : SBIN0062203 के नाम से खाता संख्या 00000036728174634, में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/अंतरण/चेक द्वारा अथवा सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। 3) सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही 25% बोली राशि (ईएमडाई सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। 4) निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता/नीलामी के क्रेता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व–प्रदत्त राशि (ईएमडाई सहित) जब्त कर ली जाएगी। 5) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अथवा ई–नीलामी को निरस्त/निलम्बित करने अथवा कोई भी कारण बताये बिना किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से संपत्ति या उसके किसी भाग को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। 6) ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईट पर उपलब्ध है: www.bankeauctions.com तथा www.savehfl.in

दिनांक 05–09–2024, स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ताबा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(3)

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि. (यहां के बाद "एमबीएचएफ" के रूप में संदर्भित) एमबीएचएफ, जिसे विधिवत केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.06.2021 के तहत प्राधिकृत किया गया है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उद्देश्य के लिए, इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन-2, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, नई दिल्ली-110049 के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणियों और सह-ऋणियों को मांग सूचना जारी की थी। ऋणी / गारंटर राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित तिथि पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन लागू ब्याज व उसपर अन्य शुल्कों के सहित "एमबीएचएफ" के प्रभार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

ऋणी / सह-ऋणी का नाम व पता: 1. सोना देवी पत्नी रामजी लाल मीना, 2. गिर्राज प्रसाद मीना पुत्र रामजी लाल मीना, 3. खेलनता देवी पत्नी गिर्राज प्रसाद मीना, 4. लाल राम मीना पुत्र रामजीलाल, 5. रामजी लाल मीना पत्नी गैंदी लाल मीना, सभी निवासी - के.ए. नंबर 04, धरमपुरा की ढाणी, जयपुर मदनपुरा, हंसमहल बस्सी, जयपुर, राजस्थान-303305.

डिमांड नोटिस दिनांक : 16-अक्टूबर-2023, **कब्जे की तिथि:** 03.09.2024
डिमांड नोटिस की राशि : रु. 03-अक्टूबर-2023 को 6,70,913.64/-

संपत्ति का विवरण : बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित पैतृक भूमि अराजी खसरा नंबर 04, रकबा 1.7703 में कुल आवासीय भूखंड के भाग 1/15 के सभी टुकड़े और पार्सल जिसका नाम पूर्व से पश्चिम तक 82 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 32.6 फीट है। कुल क्षेत्रफल 297.02 वर्ग गज और सीमा इस प्रकार है: पूर्व: 3 फीट गली, पश्चिम: आम रास्ते के साथ 10 फीट अपनी जमीन, उत्तर: बद्रीमीना का घर, दक्षिण: बद्री और हरिलाल की भूमि।

स्थान: जयपुर, दिनांक: 03.09.2024 **प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

{एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक }

पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल , सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफडोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, छल्लाघट्टा, बैंगलोर- 560071

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक को दी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के तहत अनुसूची संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है।

मेसर्स **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति विक्रय के लिए पहले ही कई सार्वजनिक नीलामियां आयोजित की थीं, लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण वे असफल रहीं। इसलिए कृपया सूचित रहें कि यदि उपरोक्त ऋण खाते में कुल बकाया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित संपत्ति की निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा।

व्यापक पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। ".

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री **"जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर"** होगी।
2. क्रेता को इस नोटिस के प्रकाशन की समाप्ति पर बिक्री मूल्य का 100: जमा करना होगा।
3. बैंक द्वारा खरीद का प्रस्ताव स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
4. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क, सोसायटी बकाया वहन करना होगा।
7. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम	सरफेसी अधिनियम के तहत 13(2) डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	निजी संधि के लिए आरक्षित मूल्य
1.	32059430000143	1)श्री हरीश कुमार, पुत्र चिरंजी लाल (उधारकर्ता) 2)श्रीमती कमलेश, पत्नी हरीश कुमार (सह–उधारकर्ता)	09.03.2023 तक रू. 7,84,242/– (सात लाख चौरासी हजार दो सौ बयालीस रुपये मात्र)	रू. 7,50,000/– (सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)
	प्रतिभूति संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण:– प्रतिभूति संपत्तियों का विवरण: खेवट नंबर 484 मिन, किला नंबर 37/18/3/2 (1–11), 23/2 (1–9), गांव बीड़ चुकचकवास, जिला–झज्जर। मालिक श्री हरीश, पुत्र श्री चिरंजी लाल, **चौहद्दी : पूर्व:** रामफल, **पश्चिम:** हरीश, **उत्तर:** गली, **दक्षिण:** रामनिवास।			
2.	32059440000350	1) मेसर्स मुकेश प्रोप. श्री राधे श्याम ऑटोमोटिव का प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री मुकेश (उधारकर्ता) द्वारा किया जाता है, 2) श्री मुकेश, पुत्र नरेन्द्र देव (उधारकर्ता), 3) श्रीमती सुशीला देवी पत्नी मुकेश (गारंटर)	16.08.2022 तक रू. 4,45,221/– (रुपये चार लाख पैंतालीस हजार दो सौ इक्कीस मात्र)	रू. 2,10,000/– (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
	प्रतिभूति संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण:– प्रितभूति संपत्तियों का विवरण:– खेवट संख्या 2715, खतौनी संख्या 3034 वाका रकबा, मौजा गांव महम, तहसील महम, जिला–रोहतक, मालिक श्रीमती सुशीला देवी पत्नी मुकेश। **सीमाएं: उत्तर:** 45'–0" पूनम का घर, **दक्षिण:** 45' 0" अन्य का प्लॉट, **पूर्व:** 15'0" गली, **पश्चिम:** 15'0" जगबीर का प्लॉट।		

उपरोक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रतिभूति संपत्तियों की बिक्री से पहले बैंक द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाया जाता है।

पत्राचार पता: श्री तुंग कौशिक (मोबाइल नं: 9873662400) **tung.kaushik@janabank.com,** श्री रंजन नाइक (6362951653) ईमेल: **ranjan.naik@janabank.com, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (जिसे पहले मेसर्स जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जिसका कार्यालय **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (शाखा कार्यालय का पता:** 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली–110005) में है।

दिनांक: 06.09.2024, स्थान: –झज्जर **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167–169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com
एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर–4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैशाली, गाजियाबाद–201010,

एएवएम – अरूण मोहन शर्मा, 8800898999, आरआरएम – अमित कौशिक, 9587088333, सीएलएम – साक्षम गुप्ता, 8006600745, सीआरएम – शशि मिश्रा – 9718025302

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का न. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. DL/DEL/DWND/A000000372 & CO/CPC/CPOF/A000001432 **श्री हबीब अहमद और श्रीमती सीताराम बेगम, दोनों:** पैंठ वाला वार्ड नं. 7 गौतम बुद्ध नगर दनकौर यूपी–203201	03-05-2024 / 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 10,42,486 दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	**प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, गाटा सं. 368/1, 371/2 और 372 मि. में से, गांव/कस्बा धनकोर (अन्य की सीमा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र), परगना धनकोर, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, (इसके बाद "उक्त संपत्ति" के रूप में संदर्भित)।** चौहद्दी: पूरब में – 14 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में – श्री गगन ठेकेदार का प्लॉट, उत्तर में – श्री साबू कबाड़ी का प्लॉट, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति
2	आवेदन नं. DL/NCU/NOIU/A000000905 DL/NCU/NOIU/A000001216 **श्री हरि शंकर और नेहा देवी, दोनों:** गांव–रायपुर बांगर सेक्टर–XU-3 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत – 201310	04-05-2024 / 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 23,81,721/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	**रिहायशी मकान क्षेत्रफल 500 वर्ग गज अर्थात 418.05 वर्ग मी., खसरा नं. 301 में से, गाँव रायपुर बांगर के क्षेत्र में, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित (इसके बाद "उक्त संपत्ति" के रूप में संदर्भित),** चौहद्दी: पूरब में – सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम में – सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर में – श्रीमती रणबीर की संपत्ति, दक्षिण में – सड़क 12 फीट चौड़ी
3	आवेदन नं. DL/UTM/UTTM/A000000224 & CO/CPC/CPOF/A000002251 **श्री हरपाल सिंह और मंजू, दोनों:** महामेधा वाली गली, अग्रवाल कॉलोनी सूरजपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत – 201306	04-05-2024 / 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 21,50,389/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	**भूमि क्षेत्रफल 107 वर्ग गज, खसरा सं. 690 में से, तिलपता करनवास, परगना और तहसील दादरी जिला– गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित, (इसके बाद संपूर्ण संपत्ति के रूप में संदर्भित),** चौहद्दी: पूरब में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति, उत्तर में – रेत विहार, दक्षिण में – अन्य की संपत्ति
4	आवेदन नं. DL/DEL/PAND/A000000767 DL/DEL/PAND/A000001272 **श्री राज चितारा और श्री निश्कर्ष चितारा, दोनों:** एफ303, सेक्टर अल्फा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत–201306	03-05-2024 / 30-08-2024 सांकेतिक	₹ 19,85,285/- दिनांक 30.04.2024 तक प्लस ब्याज इत्यादि	**लीजहोल्ड आवासीय प्लॉट सं. 303 क्षेत्रफल 60 वर्ग मी., आवंटन सं. ए01–2904, ब्लॉक सं. एफ, सेक्टर अल्फा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा),** चौहद्दी: पूरब में – प्लॉट सं. 302, पश्चिम में – प्लॉट सं. 304, उत्तर में – 12.0 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिण में – प्लॉट सं. 325

दिनांक : 05-09-2024, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म–ए

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	**अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	25/11/2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान सं.	U74900DL2003PTC123228
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	एफ–69/1, गली नं. 4, सुभाष विहार नार्थ खोंडा, उत्तर पूर्व, नई दिल्ली– 110053
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	07.01.2022 (माननीय एनसीएलटी का अंतिम आदेश 30.08.2024 को पारित किया गया था)
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	26.02.2025 (माननीय एनसीएलटी के अंतिम आदेश दिनांक 30.08.2024 से 180 दिन बाद)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**अतुल जगनानी** IBBI/IPA-001/IP-P-01117/2019 -2020/12508
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	30 हर्ष विहार, पीतमपुरा, दिल्ली, उत्तर पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034 ईमेल: atuljagnani@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई–मेल	405, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, 110001 ईमेल: alphapecificengineersprivateli@gmail.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	13.09.2024 (माननीय एनसीएलटी के अंतिम आदेश दिनांक 30.08.2024 की तारीख से 14 दिन बाद)
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	आईआरपी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण कहां उपलब्ध है	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता: लागू नहीं

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ, (कोर्ट III) ने **07.01.2022** (माननीय एनसीएलटी का अंतिम आदेश 30.08.2024 को पारित किया गया था) को **मेसर्स अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

मेसर्स अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को **13.09.2024** को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो प्रविष्टि नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने में जुर्माना लगाया जाएगा।

श्री अतुल जगनानी
अंतरिम समाधान पेशेवर
अल्फा पेसिफिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-001/IP-P-01117/2019 -2020/12508
एएफए वैधता 02.01.2025 तक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06.09.2024

तरंगिनी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: के–37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110048 सीआईएन: **L67190DL1982PLC013486**, फोन: 011–42857135
वेबसाइट: **www.taranginiinvestmentsltd.com;** ईमेल आईडी: **tarangini0123@gmail.com**

वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह्न 03.00 बजे, के–37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110048 में आयोजित की जाएगी।

बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां जिसमें उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म शामिल है, जिसमें बैठक में किए जाने वाले साधारण कारोबार और विशेष कारोबार को दर्शाया गया है, साथ ही 31 मार्च, 2024 तक का बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियां और निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उन सदस्यों को, जिन्होंने कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, उनके संबंधित पंजीकृत पते पर डाक द्वारा और उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई हैं, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लिया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैठक की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.taranginiinvestmentsltd.com) पर उपलब्ध